

**प्रपत्र-X**

[नियम 27 का उप-नियम (18)]

जाँच में लम्बित रहने के दौरान बच्चे को अल्पकाल के लिए संस्था में रखे जाने का आदेश

बच्चे का नाम :

लिंग :

आयु :

पिता का नाम :

माता का नाम :

पता :

संगठन/संस्था को बच्चे के प्राप्त होने की तारीख :

बच्चे को प्रस्तुत करने वाला :

इस आदेश के द्वारा आपको यह प्रधिकार व निर्देश दिया जाता है कि आप उक्त बच्चे को अपने प्रभाराधीन स्वीकार करें और उसे किशोर न्याय (बच्चों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2000 की धारा 33 (1) के अन्तर्गत आश्रय गृह/बाल गृह में रखें।

( हस्ताक्षर )

अध्यक्ष /सदस्य

बाल कल्याण समिति